

राजस्थान सरकार  
विधि (संहिताकरण) विभाग

**विषय:— केन्द्रीकृत वेबसाईट पर संपूर्ण डाटा अपलोड नहीं होने बाबत।**

**संदर्भ:—** इस विभाग की समसंख्यक अशा.टीप दिनांक 27.10.2017, 07.11.2017 एवं मुख्य सचिव महोदय की अशा.टीप दिनांक 17.11.2017।

उपर्युक्त संदर्भित विषय में निवेदन है कि केन्द्रीकृत वेबसाईट के निर्माण का काफी कार्य पूरा किया जा चुका है किन्तु अभी तक प्रशासनिक विभागों द्वारा संपूर्ण डाटा अपलोड किये जाने का कार्य अधूरा है। इस कारण इस वेबसाईट के कार्य में बहुत अधिक विलम्ब हो रहा है जबकि इसे सुगमतापूर्वक एवं शीघ्रता से पूरा किए जाने के लिए प्रशासनिक विभागों के नोडल अधिकारियों एवं प्रोग्रामर/सूचना सहायकों को विधि विभाग द्वारा मीटिंग एवं दो बार वर्कशॉप आयोजित करके ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है। इस कार्य में हो रहे विलम्ब को माननीय उच्च न्यायालय तथा मुख्य सचिव महोदय द्वारा अन्यथा लिया जा सकता है।

दिनांक 25.12.2017 तक केन्द्रीकृत वेबसाईट पर प्रशासनिक विभागों द्वारा मात्र 2326 डाटा ही अपलोड किया है जिसे कतई सन्तोषजनक नहीं कहा जा सकता है। इसमें 21 विभागों द्वारा कोई डाटा अपलोड नहीं किया गया है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आपके अधीनस्थ स्टाफ डाटा अपलोड के कार्य में उचित तत्परता तथा सावधानी नहीं बरत रहे हैं। इस कार्य में पहले ही काफी विलम्ब हो चुका है, अतः इस कार्य को अधिक समय पेंडिंग रखा जाना उचित नहीं होगा।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि अपने प्रशासनाधीन विभाग एवं अधीनस्थ समस्त उप विभागों, संस्थानों, उपक्रमों आदि का 100 प्रतिशत डाटा अद्यतन, सत्यापित या गजट प्रति से तैयार कर यथाशीघ्र एवं अधिकतम् 07 दिवस में केन्द्रीकृत वेबसाईट पर अपलोड करवाने का कष्ट करें। साथ ही आप इस कार्य की सतत निगरानी के लिए आप द्वारा अधिकृत नोडल अधिकारी को पाबंद करते हुए इस विभाग को दिनांक 05.01.2018 तक इस आशय की सूचना इस विभाग को भिजवाने का कष्ट करें कि आपके प्रशासनाधीन सभी विभागों, उपविभागों, संस्थानों, उपक्रमों आदि का 100 प्रतिशत डाटा केन्द्रीकृत वेबसाईट पर अपलोड कर दिया गया है। यदि अब भी समस्त डाटा अपलोड नहीं किया

किया जाता है एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अन्यथा लिया जाता है तब प्रशासनिक विभाग ही उत्तरदायी होंगे ।

इस अत्यंत महत्वपूर्ण वेबसाइट का लोकार्पण उच्चतम स्तर से जनवरी, 2018 के द्वितीय सप्ताह में किए जाने की प्रबलतम संभावना है।

अतः कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता एवं गम्भीरता प्रदान करने का कष्ट करें।

प्रमुख शासन सचिव, विधि  
26.12.17

समस्त अति. मुख्य सचिव/  
प्रमुख शासन सचिव/सचिव  
शासन सचिवालय, जयपुर।

अशा.टीप क्रमांक प.15(3)विधि/संहिता/2017 पार्ट  
जयपुर, दिनांक: 26 DEC 2017

सभी प्रशासनिक विभागों के नोडल अधिकारियों को भिन्न-भिन्न  
जाने वाली अशा.टीप को जरूर ई-मेल एवं विधि विभाग की  
वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रोग्रामर (विधि एवं विधिक  
कार्य विभाग) को एक अतिरिक्त प्रति सहित प्रेषित है।

(रवि शर्मा)  
प्रमुख शासन सचिव विधि

s.no.	Name	Act	Circulars	Statutory	Pre-Constitutional Era	Regulations	Rules	Total
				Notification	Ordinance			
1	Administrative Reforms and Co-ordination Department	1	14	3	0	0	0	18
2	Agriculture Department	6	0	0	0	0	5	11
3	Ayurved and Indian Medicine Department	3	0	0	1	1	11	16
4	Command Area Development & Water Utilisation Department	2	0	0	0	0	4	6
5	Consumer Affairs Department	2	0	1	0	0	8	11
6	Cooperative Department	5	40	14	0	0	3	62
7	Department of Energy	1	0	6	0	0	0	7
8	Department of Environment	0	1	28	0	1	26	56
9	Department of Higher Education	66	0	9	0	0	0	75
10	Department of Information Technology and Communications (DgITC)	0	0	0	0	0	3	3
11	Department of Minority Affairs	7	17	0	0	1	7	32
12	Department of Personnel	0	363	0	0	0	41	404
13	Department of School Education	0	0	0	0	0	0	0
14	Department of Science & Technology	0	0	0	0	0	5	5
15	Department of Skill Employment and Entrepreneurship	8	0	0	0	0	23	31
16	Devasthan Department	4	5	0	0	0	5	14
17	Directorate of Animal Husbandry	7	3	6	0	0	21	37
18	Disaster Management, Relief & Civil Defense Department	1	0	6	0	0	1	8
19	Education (Gr. 6) Sanskrit Education	0	0	0	0	0	3	3
20	Election Department	5	0	0	0	0	2	7
21	Finance Department	0	0	0	0	0	0	0
22	Food and Civil Supply department	2	0	0	0	0	4	6
23	Forest department	10	0	21	0	29	22	82
24	General Administration Department	3	67	8	0	0	17	95
25	Gopalan Department	1	0	1	0	0	1	3
26	Ground Water Department	2	28	1	0	2	1	34
27	Home department	1	0	0	0	0	1	2
28	Indira Gandhi Canal Board	1	0	0	0	0	0	1
29	Industries	18	27	19	0	18	43	125
30	Labour and Employment department	36	38	31	0	3	78	186
31	Law and Legal Affairs Department	25	92	11	7	3	17	155
32	Medical and Health Department	10	8	106	0	14	8	146
33	Micro, small & medium Enterprises (MSME)	3	0	0	0	18	23	44
34	Mines Department	10	0	0	0	1	22	33
35	Panchayati Raj Department	1	0	1	0	0	5	7
36	Parliamentary Affairs department	40	0	1	0	0	21	62
37	Planning department	5	34	7	0	0	8	54

38 Printing and Stationer department	0	0	1	2	0	1	4
39 Public Health Engineering Department(PHED)	1	0	3	0	0	7	11
40 Public Works Department(PWD)	3	164	13	0	0	7	187
41 Rajasthan Co-operative Dairy Federation Limited(RCDF)	0	0	0	0	15	0	15
42 Rajasthan University of Veterinary & Animal Science, Bikaner	2	0	0	0	0	1	3
43 Redressal of Public Grievance Department	22	0	0	0	0	2	24
44 Revenue Department	5	0	0	0	0	14	19
45 Rural Development Department	0	1	3	0	0	0	4
46 Secondary Education, Rajasthan, Bikaner	2	0	0	0	0	19	21
47 Social Justice Empowerment Department	11	0	1	0	0	8	20
48 State Enterprises department	0	0	0	0	0	0	0
49 Tourism Department	2	4	0	0	1	2	9
50 Transport Department	4	0	92	0	0	2	98
51 Tribal Area Department	2	0	0	0	0	7	9
52 Urban Development and Housing department	6	0	0	0	1	6	13
53 Water Resources Department	2	0	0	0	1	2	5
54 Woman & Child Development Department	7	17	9	0	0	10	43
<b>Grand Total</b>	<b>355</b>	<b>923</b>	<b>402</b>	<b>10</b>	<b>109</b>	<b>527</b>	<b>2326</b>